न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 64 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 110

1 नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी , नगर पालिका निम्बाहेडा (राज.)

......प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा

......विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री शुभभ छाजेड – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 28.06.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि मोजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा ए तहसील निम्बाहेड़ा आराजी नं 185 रकबा 1.3800 हेक्टेयर है जिसमें से 0.95 हेक्टेयर चरागाह दर्ज है जिसके साबिक आराजी नं 31 मीन है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए तहसील निम्बाहेड़ा की उक्त साबिक आराजी नम्बर 31 रकबा 19.08 बिघा चरागाह में से पूर्व हिस्सा जो सड़क मार्ग चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा के पूर्व की ओर की 5.15 बिघा भूमि को चरागाह से खारिज कर नगरपालिका निम्बाहेड़ा के पक्ष में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने हेतू आरक्षित आवंटित किये जाने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 28.12.2011 को पारित किया गया इसलिए उक्त जमीन जो कि पूर्व में बिलानाम थी उक्त जमीन चरागाह के स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने हेतु नगरपालिका निम्बाहेड़ा में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु सेटलमेन्ट की त्रुटि की वजह से उक्त भूमि चरनोट चारागाह में दर्ज हो गई है। उक्त तथ्य की जानकारी अभी हाल ही में हुई है और जानकारी होते ही यह आवेदन इन्द्राज दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विप[illegible]रिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा [illegible]स्थित [illegible]र निवेदन किया कि ग्राम निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा के जमाबन्दी [illegible] वर्ष संवत 2042–2045 के खाता संख्या 538 में साबिक आराजी नम्बर 31 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा चर[illegible] के नाम दर्ज रेकार्ड थी। श्रीमान जिला कल[illegible] महोदय चित्तौडगढ के आ[illegible] क्रमांक / राजस्व / न.पा / आबादी / 9–35(83) 2051–54 दिनांक 16.11.1997 से 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि नगरपालिका निम्बाहेडा ट्रांसपोर्ट नगर (आबादी) का आंवटन होकर नामान्तरण संख्या 1375 से नगर पालिका के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला: चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिसका तरमीम ट्रेस नामान्तरकरण पर चस्पा है। बाद भू प्रबन्ध उक्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 37 रकबा 1.19 हैक्टेयर किस्म गे. मु. आबादी नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज होकर नक्शे में तरमीम हुआ। पूर्व में उक्त आराजी की तरमीम साबिक आराजी नम्बर 31 के दक्षिण पूर्वी कोने में दर्ज थी जो बाद भू प्रबन्ध पश्चिमी और तरमीम हुआ जो गत (साबिक) नक्शे अनुसार नहीं है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया है।

खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ट				प्रस्तावित प्रविष्ट				खाता संख्या
	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार	
940	185	0.95	चरागाह	चरागाह हिस्सा पूर्ण चरनोट	185	0.95	ट्रांसपोर्ट नगर (गे. मुआबादी)	नगर पालिका निम्बाहेडा (राज्यहित)	916
916	37	1.19	गे.मु. आबादी	नगरपालिका निम्बाहेडा (राज्यहित)	37	0.95	चरागाह	चरागाह हिस्सा पूर्ण चरनोट	940
					37	0.24	गे.मू. आबादी	नगर पालिका निम्बाहेडा (राज्यहित)	916

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा [illegible] में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए [illegible] राजस्व इन्द्राज को कलमजन खातेदारी संबंधी इन्द्राज [illegible] उक्त प्रकार का अनुतोष करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि[illegible] धारा 136 के तहत प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 [illegible] आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:13 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम निम्बाहेडा की जमाबन्दी सम्वत्

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला: चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

2077–2080 की खाता संख्या 916 में आराजी नम्बर 37 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि नगर पालिका निम्बाहेडा के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज रेकार्ड है। जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 2402/31 रकबा 4–14 बीघा से बनी है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ के आदेश क्रमांक राजस्व/न. पा/आबादी/9–35(83) 2051–2054 दिनांक 16.11.1987 द्वारा साबिक आराजी नम्बर 31 कुल रकबा 26–15 बीघा चरागाह भूमि में से 4–14 बीघा भूमि नगर पालिका निम्बाहेडा को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित की गई।श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ के उक्त आदेश की पालना में ग्राम निम्बाहेडा की साबिक नामान्तरण संख्या 1375 दिनांक 18.11.1987 द्वारा साबिक आराजी नम्बर 31/2 रकबा 4–14 बीघा भूमि नगर पालिका निम्बाहेडा के नाम आबादी में दर्ज की गई।उक्त आराजी नम्बर 31/2 रकबा 4–14 बीघा भूमि के बढते नम्बर 2402/31 रकबा 4–14 बीघा बने। आराजी नम्बर 31/2 की तरमीम का नक्शा ट्रेस ग्राम निम्बाहेडा की साबिक नामान्तरण संख्या 1375 की परत पर चस्पा पाया गया। जिस अनुसार उक्त आराजी सडक के पूर्व दिशा में तरमीम की गई थी। किन्तु साबिक आराजी नम्बर 2402/31 से बनी हाल आराजी नम्बर 37 रकबा 1.19 हैक्टैयर भूमि रोड़ के पश्चिम दिशा में स्थित है। वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूल हुई है। जबकि उक्त साबिक आराजी नम्बर 2402/31 की तरमीम हाल आराजी नम्बर 185 मीन रकबा 0.95 हैक्टैयर में होनी चाहिए थी जो कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 940 में चारागाह के रूप में दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में वर्तमान आराजी नम्बर 185 मीन रकबा 0.95 हैक्टेयर को चारागाह के बजाय नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम आबादी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है साथ ही आराजी नम्बर 37 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि जो नगरपालिका निम्बाहेडा के नाम आबादी में दर्ज रेकार्ड है में से 0.95 हैक्टैयर भूमि चारागाह में दर्ज करने एवं शेष रकबा 0.24 हैक्टेटर भूमि यथावत नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम आबादी में रखने हेतु निवेदन किया है। भू– प्रबन्ध द्वारा की गई त्रुटियो को अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 में सुधार किया जा सकता है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य साबिक रेकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर वर्तमान आराजी नम्बर 185 मीन रकबा 0.95 हैक्टेयर चारागाह भूमि को नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम आबादी भूमि में दर्ज करने एवं नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज आराजी नम्बर 37 रकबा 1.19 हैक्टेयर में से 0.95 हैक्टेयर भूमि चारागाह में दर्ज करने एवं शेष रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि यथावत नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2024.01.06 18:09:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धा[illegible]स्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पूर्व रेकार्ड से [illegible] किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जा[illegible] कि मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए तह0 [illegible] संवत 2077–80 की खाता संख्या 916 की आराजी नम्बर 37 रकबा 1.19 हैक्[illegible] गै.मु.आबादी, जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 की खाता संख्या 940 के आराजी नम्बर 185 रकबा 0.95 हैक्टेयर भूमि चरागाह की तरमीम निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार निम्बाहेडा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ट				प्रस्तावित प्रविष्ट				खाता संख्या
	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार	
940	185	0.95	चरागाह	चरागाह हिस्सा पूर्ण चरनोट	185	0.95	ट्रासपोर्ट नगर हेतु (गं.मु आबादी)	नगर पालिका निम्बाहेडा (राज्यहित)	916
916	37	1.19	गै.मु आबादी	नगरपालिका निम्बाहेडा (राज्यहित)	37	0.95	चरागाह	चरागाह हिस्सा पूर्ण चरनोट	940
					37	0.24	ट्रासपोर्ट नगर हेतु (गं.मु आबादी)	नगर पालिका निम्बाहेडा (राज्यहित)	916

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

28/6/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला: चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner